



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या – 1420 वर्ष 2026

सोनू

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा मुख्य सचिव गृह विभाग, लखनऊ

.....प्रतिवादी(गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता

: विकास सिंह, महेंद्र बहादुर सिंह, स्मृति

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, राकेश कुमार वर्मा, रवि शंकर तिवारी,
विश्वकांत श्रीवास्तव

न्यायालय संख्या – 16

माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह

1. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर शपथ-पत्र अभिलेख पर लिया गया।
2. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
3. इस आवेदन के माध्यम से, प्रार्थी, जो थाना- गंगाघाट, जनपद- उन्नाव के अंतर्गत वाद अपराध संख्या 664 वर्ष 2025, धारा 191 (2), 191 (3), 190, 103 (1) व 351 (3), 3 (5) बी.एन.एस., 2023 में शामिल है, विचारण के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की मांग कर रहा है।
4. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 06.11.2025 को नौ नामित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

अभियुक्तों के विरुद्ध बी.एन.एस., 2023 की धारा 191 (2), 191 (3), 190, 103 (1) व 351 (3), 3 (5) के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 05.11.2025 को रात्रि लगभग 11:30 बजे जब सूचनादाता का पति सो रहा था, तब नामजद अभियुक्तों ने आकर उसे गोली मारकर हत्या कर दी और परिवार के सदस्यों को धमकी दी कि यदि वे चिल्लाएंगे, तो उन्हें भी मार दिया जाएगा।

5. प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया है कि शव परीक्षण रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर केवल एक गोली लगने का घाव पाया गया है, इसके अतिरिक्त मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं पाई गई है।

6. यह भी तर्क दिया गया है कि सूचनादाता और अन्य प्रत्यक्ष साक्षियों ने अपने बयानों में मृतक को गोली मारने की भूमिका राज कुमार को सौंपी है, न कि वर्तमान प्रार्थी सहित किसी अन्य सह-अभियुक्त को।

7. यह भी तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त राज कुमार ने अपने इकबालिया बयान में स्वीकार किया है कि उसने मृतक को गोली मारकर घायल किया था।

8. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी के कब्जे से या उसकी निशानदेही पर किसी भी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है।

9. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी का 18 मामलों का आपराधिक इतिहास है, लेकिन उनमें से कोई भी मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 या किसी अन्य जघन्य अपराध के अंतर्गत नहीं है, सिवाय एक मामले के जिसमें अंतिम रिपोर्ट पहले ही दाखिल की जा चुकी है और अधिकांश मामलों में प्रार्थी जमानत पर है।

10. यह भी तर्क दिया गया है कि प्रार्थी को वर्तमान मामले में झूठा फंसाया गया है और वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

11. यह भी तर्क दिया गया है कि सह-अभियुक्त मंतनी, जिसे वर्तमान प्रार्थी के समान भूमिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सौंपी गई थी, को इस न्यायालय द्वारा 25.05.2025 के आदेश द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 3764 वर्ष 2026 में पहले ही जमानत दी जा चुकी है, जिसकी प्रति बहस के दौरान उपलब्ध कराई गई है, जिसे अभिलेख पर लिया गया है, अतः प्रार्थी को भी समानता के आधार पर जमानत दी जा सकती है।

12. यह भी तर्क दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **प्रभाकर तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य, (2020) 11 एससीसी 648** में यह टिप्पणी की है कि किसी अभियुक्त के विरुद्ध कई आपराधिक मामलों का लंबित होना ही जमानत अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है।

12. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (एजीए) ने प्राप्त निर्देशों के आधार पर जमानत दिए जाने के प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन वे प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों का खंडन करने में असमर्थ हैं।

13. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के पश्चात; प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर केवल एक गोली का घाव पाया गया है, इसके अतिरिक्त मृतक के शरीर पर कोई अन्य चोट नहीं पाई गई है; मुखबिर और अन्य चश्मदीद गवाहों ने अपने बयानों में मृतक को गोली मारने की भूमिका राज कुमार को सौंपी है, न कि वर्तमान प्रार्थी सहित किसी अन्य सह-अभियुक्त को; सह-अभियुक्त राज कुमार ने अपने इकबालिया बयान में स्वीकार किया है कि उसने मृतक को गोली मारकर घायल किया था; प्रार्थी के कब्जे से या उसकी निशानदेही पर किसी भी हथियार की बरामदगी नहीं हुई है; इस प्रकार, प्रथम दृष्टया यह पाया गया है कि यह एक उपयुक्त मामला है जिसमें प्रार्थी को जमानत पर रिहा किया जा सकता है।

14. तदनुसार, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. प्रार्थी **सोनू** को उक्त वाद अपराध संख्या में इस शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए कि

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी:-

- (i) प्रार्थी विचारण के दौरान अभियोजन के साथ सहयोग करेगा।
- (ii) प्रार्थी विचारण के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) प्रार्थी अभियोजन साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं।
- (iv) प्रार्थी कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
- (v) प्रार्थी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा और न ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करेगा।
- (vi) प्रार्थी नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।
- (vii) जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, तो प्रार्थी साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।
- (viii) प्रार्थी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

16. उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, विचारण न्यायालय के लिए यह खुला होगा कि वह इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग माने और कानून के अनुसार आदेश पारित करे।

17. चूंकि यह आदेश प्रार्थी को जमानत पर रिहा करने से संबंधित है, अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियों का मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और विचारण न्यायालय इस आदेश में की गई किसी भी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा।

(न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह)

30 जून, 2026

एमकेएस

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।